पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2018

अनवान :

हरिसिंह पुत्र हेमूमल जाति सिंधी निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नेकीराम
2. बनवारी
3. फकीरा

} पिसरान श्योराम जाति कुम्हार निवासी गोरछी हाल आबाद अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसील राजस्व भादरा तहसील भादरा।
5. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रतनसिंह धारीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा तहसील भादरा के खाता सं0 291/278 के खसरा सं0 573 की 2.4150 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि कलमजन की जाकर वादी खसरा नं0 573 में 3 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी के नाम खसरा नं0 573 में 3 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2018

अनवान :

हरिसिंह पुत्र हेमूमल जाति सिंधी निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

.1. नेकीराम
2. बनवारी
3. फकीरा

} पिसरान श्योराम जाति कुम्हार निवासी गोरछी हाल आबाद अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसील राजस्व भादरा तहसील भादरा।
5. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्त.अधि. 1955
उपस्थिति : वकील श्री रतनसिंह धारीवाल **: वादी**
निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 21 की 7 बीघा 8 बिस्वा व खसरा सं0 23 की 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा सं0 24 की 3 बीघा 16 बिस्वा खसरा सं0 641 की 13 बीघा 10 बिस्वा खसरा सं0 376 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी के पिता हेमूमल को पूर्नवास एवं प्रबन्धक अधिकारी कस्टोडियन विभाग द्वारा पुख्ता आवंटित की गई थी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे। भू–प्रबंधक विभाग द्वारा साबिका खसरा सं0 21 के हाल खसरा 33 की 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं0 23 के हाल खसरा सं0 31 की 4 बीघा, खसरा सं0 24 के हाल खसरा नं0 34 की 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 641 के हाल खसरा नं0 1062 की 13 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं0 376 के हाल खसरा सं0 573 की 9 बीघा भूमि में परिवर्तित एंव पैमुद हो गई।

वादी के पिता हेमुमल दिनांक 15.01.74 को फौत हो गये हेमुमल की बेवा सुन्दरी एवं हेमुमल के छोटे पुत्र गुरूबक्स ने वादी के पक्ष में अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया था तथा जिसके आधार पर वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग के साथ मिली भगत कर साबिका खसरा नं0 376 की 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि हाल खसरा नं0 573 की 9 बीघा भूमि परिर्वतन करवाकर अपने नाम प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने दर्ज करवा ली जिसके आधार पर वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होता है। इसलिए प्रतिवादीगण कां नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा वादी अपने नाम रोही मौजा अजीतपुरा तहसील भादरा के हाल खसरा नं0 576 की 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो वादी के पिता को आवंटित शुदा भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का 3 बीघा 18 बिस्वा की हदतक कलमजन किया जाकर वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार करवा पाने का अधिकारी है। वादी उपरोक्त आश्यों की घोषणा करवापाने का अधिकारी है।

वादी ने पूर्व में एक वाद सं0 37/77 बअनवानी हरिसिंह बनाम नेकीराम आदि प्रस्तुत किया था जो न्यायालय बअदालत एसीएम साहब नोहर द्वारा दिनांक 14.12.1977 को वाद का निर्णय व डिक्री पारित करते हुये घोषणा कि गई थी कि ग्राम

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अजीतपुरा तहसील भादरा के साबिका खसरा नं0 376 की 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नं0 573 की 9 बीघा 11 बिस्वा में परिवर्तित की गई वादी के पिता को आंवटन शुदा भूमि है और इस 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण का नाम राजस्व में गलत तौर पर दर्ज हुआ है जो वादी के हकुकों के मुकाबले गलत व बेअसर है। प्रतिवादीगण का इसी 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उपरोक्त वाद डिक्री किया था जिसकी इजराय आदेश वादी ने जारी करवाकर पटवारी हल्का को आदेश की प्रति पालना हेतु सम्भला दी थी। परन्तु पटवारी हल्का ने सहबन से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन न करके वादी का नाम दर्ज नहीं किया जिस पर वादी को पूनः वाद प्रस्तुत करना पड़ा है पूर्ववर्ति वाद के आधार पर वर्तमान वाद डिक्री करवाकर वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व 5 को बार बार आवाज लगाई गई बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकारराज ने जबाब दावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 291/278 की खसरा सं0 573 की 2.4150 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम 3 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि वादी अपने नाम करा पाने का अधिकारी है ?

   – वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

   – वादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी हरिसिंह पुत्र हेमुमल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित नामान्तरण रजिस्टर ग्राम अजीतपुरा प्रदर्श 1, 2, 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 303/285 सम्वत् प्रदर्श 4, फोटो कॉपी प्रमाणित फर्द अहकाम प्रदर्श 5, 6, फोटो प्रति प्रमाणित अर्जीदावा दिनांक 21.08.76 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित पर्चा डिक्री दिनांक 04.04.81 प्रदर्श 8, चित्रप्रति प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रदर्श 9, चित्रप्रति, प्रमाणित रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05.08.76 प्रदर्श 10, प्रमाणित चित्रप्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.76 प्रदर्श, चित्रप्रति प्रमाणित दरख्वास्त दिनांक 20.12.75 प्रदर्श 12, प्रमाणित चित्रप्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.12.75 प्रदर्श 13, चित्रप्रति प्रमाणित बयान हरिसिंह दिनांक 29.12.77 प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि पूर्नवास विभाग से अजीतपुरा में अवंटित हुई थी। पूर्ववर्ति दावा में निर्णय कर दिया गया था किन्तु डिक्री नहीं बन सकी जो बाद में 1981 में जारी की गई थी। प्रतिवादी की तलबी अखबार में साया कर करवाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। पूर्व की पत्रावली में साक्ष्य व बयान हो रखे है मुताबिक पूर्ववर्ती निर्णय के निर्णय फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी

सहायक कलेक्टर
(ईस्ट ट्रेक) भादरा

ने ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज कृषि भूमि की मुताबिक पूर्व निर्णय के अपने नाम घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है। वादी ने अपने दावा, बहस व मुख्य परीक्षा में जाहिर किया है कि वाद भूमि वादी के पिता हेमूमल को पूनर्वास एवं प्रबन्धक अधिकारी कस्टोडियन विभाग द्वारा पुख्ता आंवटित की गई थी। वादी के पिता हेमुमल दिनांक 15.01.74 को फौत हो गये हेमुमल की बेवा सुन्दरी एवं हेमुमल के छोटे पुत्र गुरूबक्स ने वादी के पक्ष में अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया था। परन्तु साबिका खसरा नं0 376 की 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि हाल खसरा सं0 573 की 9 बीघा भूमि परिवर्तित करवाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित नामान्तरण रजिस्टर ग्राम अजीतपुरा प्रदर्श 1, 2, 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 303/285 सम्वत् प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रदर्श 9, चित्रप्रति प्रमाणित रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05.08.76 प्रदर्श 10, प्रमाणित चित्रप्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.76 प्रदर्श, चित्रप्रति प्रमाणित दरख्वास्त दिनांक 20.12.75 प्रदर्श 12, प्रमाणित चित्रप्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.12.75 प्रदर्श 13, चित्रप्रति प्रमाणित बयान हरिसिंह दिनांक 29.12.77 प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाये है। वादी द्वारा प्रदर्शित उक्त दस्तांवेजात वादी के दावा की पुष्टि करते है तथा फोटो कॉपी प्रमाणित फर्द अहकाम प्रदर्श 5, 6, फोटो प्रति प्रमाणित पर्चा डिक्री दिनांक 04.04.81 प्रदर्श 8 में स्पष्ट किया है कि ग्राम अजीतपुरा के साबिका खसरा सं0 376 जो खसरा सं0 573 में परिवर्तन हुई है। वादी के पिता को आवंटन शुद्धा भूमि होने के कारण वादी के खातेदारी है और इस भूमि में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण का इस 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि में किसी तरह का कोई हक नहीं है इसके अलावा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में व विरूद्ध वादी तय की जाती है।

हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है। जिसमें से तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में साबित हो चुकी है। इस कारण तनकी सं0 2 स्वतः ही वादी के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा तहसील भादरा के खाता सं0 291/278 के खसरा सं0 573 की 2.4150 है0 भूमि में से राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि से नाम कलमजन किया जाकर वादी खसरा नं0 573 में 3 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी के नाम खसरा नं0 573 में 3 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़